

The Latest Update on Whats Happening Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

> सैटेलाइट और केवल टीवी की दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

NEW BOARD OF DIRECTORS AT NDTV

After the Adani takeover of NDTV and the resignation of Prannoy Roy and Radhika Roy as directors on the Board of RRPR Holding Private Limited, Sanjay Pugalia & Senthil Sinniah Chengalvarayan were appointed as the new directors on Board with immediate effect.

Radhika and Prannoy Roy held a total of 61.45% stake in NDTV including 29.18% through RRPRH. Now, Roys together own a 32.26% stake in their individual capacity. Radhika Roy has a 16.32% stake while Prannoy Roy's stake in the company is 15.94%.

Sanjay Pugalia is a veteran journalist and is also the editorial director at Quintillion Business Media Ltd., a business and financial news company. Pugalia is the chief executive officer and editor-in-chief of AMG Media. Adani Enterprises the inducted veteran journalist as the CEO and editor-in-chief to lead the Group's media initiatives in 2021.

Senthil Chengalvarayan comes with over 35 years of experience in business news journalism and was the founding editor of CNBC TV18. Chengalvarayan has also been the editor-in-chief of Network 18's business newsroom.

Sudipta Bhattacharya is the chief executive officer (CEO) of North America for the Adani group. He is also the chief technology officer of the group.

Prior to his current assignments at the group, Bhattacharya was the CEO of Adani Ports and SEZ and chief strategy officer for the group.

एनडीटीवी के नये निदेशक मंडल

एनडीटीवी के अडानी अधिग्रहण और उसके वाद आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में प्रणय रॉय और राधिका रॉय के इस्तिफे बाद, संजय पुगलिया और सेंथिल सिन्नैया चेंगलवारायण को तत्काल प्रभाव से बोर्ड में नये निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

राधिका और प्रणय रॉय के पास आरआरपीआर के माध्यम से 29.18% सिहत एनडीटीवी में कुल 61.45% हिस्सेदारी थी। अब रॉय के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 32.26% हिस्सेदारी है। कंपनी में राधिका रॉय की 16.32% हिस्सेदारी है जबिक प्रणय रॉय के पास

15.94% है।

संजय पुगलिया एक अनुभवी पत्रकर हैं और एक वित्तीय और व्यापार समाचार कंपनी क्विटिलयन विजनेस मीडिया लिमिटेड में संपादकीय निदेशक भी हैं।श्री पुगलिया एएमजी मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रधान संपादक हैं।अडानी एंटरप्राइजेज ने 2021 में समूह की मीडिया पहल का नेतृत्व करने के लिए अनुभवी पत्रकार को सीईओ

और प्रधान संपादक के रूप में शामिल किया।

संथिल चेंगलवारायण बिजनेस न्यूज पत्रकारिता में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ आते हैं और सीएनवीसी टीवी 18 के संस्थापक संपादक थे।चेंगलवारायण नेटवर्क 18 के बिजनेस न्यूज रूम के प्रधान संपादक भी रह चुके हैं।

सुदीप्त भट्टाचार्य अडानी समूह के लिए उत्तरी अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। वह समूह के मुख्य तकनीकी अधिकारी भी है।

समूह में अपने वर्तमान कार्यभार से पहले, भटटाचार्य अडानी पोर्ट्स और एसईजेड के सीईओ और समूह के मुख्य रणनीतिक अधिकारी थे।





8

ADVERTISE NOW!

Contact: Mob.: +91-7021850198

Tel.: +91-22-6216 5317

Email: scat.sales@nm-india.com

SATELLITE & CABLE TV DECEMBER 2022



ADANI OFFER TO NDTV

Adani Group has an open offer to acquire 26% additional public shareholding in NDTV and kept it

open till December 5, 2022. The open offer is for acquisition of up to 16,762,530 fully paid-up equity shares, representing 26% of the voting share capital of NDTV. In August, Vishvapradhan Commercial Private Limited (VCPL), a wholly owned subsidiary of AMNL, said it has exercised the rights to acquire 99.5% of the equity shares of RRPR Holding Private Limited.

VCPL intends to acquire up to 16,762,530 fully paid-up Equity Shares, constituting 26% of the Voting Share Capital, at a price of Rs 294 per Offer Share aggregating to a total consideration of up to Rs 492.8 crore.

BROADCASTERS URGE REVIEW OF PROCESSING FEE

The uplinking and downlinking guidelines framed by the Govt and the processing fee for live telecast of events has landed broadcasters in a major financial soup. The processing fee at present is Rs 100,000 and as per estimates it will now cost Rs 4 crore to Rs 5 crore for every sporting event which will be a major blow to the broadcasters. All the the broadcasters are asking a waiver in the processing fee.

NEW GUIDELINES FOR UPLINK & DOWNLINK

The new consolidated guidelines for uplinking and downlinking of satellite TV channels which will improve the Ease Of Doing Business (EODB) in the broadcasting sector has been issued by the Govt.

The new guidelines have removed the requirement for seeking permission for the live telecast of events. It also allows Indian teleport operators to uplink foreign channels which was not the case earlier.

The ministry has also clarified that free-to-air (FTA) channels uplinked from frequency bands other than C-

अडानी के पास एनडीटीवी का ऑफर

अडानी समूह के पास एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त सार्व जिनक शेयरधारिता हासिल करने के लिए खुला प्रस्ताव है और इसे 5

दिसंबर 2022 तक खुला रखा गया है। खुला प्रस्ताव 16,762,530 के पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए है, जो एनडीटीवी के वोटिंग शेयर पूंजी के 26% का प्रतिनिधित्व करता है। अगस्त में, एएमएनएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) ने कहा कि उसने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.5% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के

अधिकारों का प्रयोग किया है।

वीसीपीएल का इरादा 16,762,530 पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना है, जो कि 294रुपये प्रति ऑफर शेयर की कीमत पर वोटिंग शेयर पूंजी का 26%, यानि कुल मिलाकर 492.8 करोड रुपये होता है।

प्रसारकों ने प्रोसेसिंग शुल्क की समीक्षा का आगृह

सरकार द्वारा बनाये गये अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्दे शों और कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क ने प्रसारकों को एक प्रमुख वित्तीय संकट में डाल दिया है। वर्तमान में प्रोसेसिंग शुल्क 100,000रूपये है और अनुमान के मुताबिक अब हर खेल आयोजन के लिए 4 करोड़ से 5 करोड़ रूपये खर्च होंगे जो प्रसारकों के लिए एक बड़ा झटका होगा। तमाम प्रसारक प्रोसेसिंग शुल्क में छूट की मांग कर रहे हैं।

अपिलंकिंग और डाउनिलंकिंग के लिए नये दिशानिर्देश

सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपिलंकिंग और डाउनिलंकिंग के लिए एक समेकित दिशानिर्देश जो प्रसारण क्षेत्र में ईज ऑफ डूईग विजनेस (ईओवीडी) में सुधार करेंगे, सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। नये दिशा निर्देशों में कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए अनुमित मांगने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। यह भारतीय टेलीपोर्ट ऑपरेटरों को विदेशी चैनलों को अपिलंक करने की भी अनुमित देता है, जबिक पहले ऐसा नहीं था।

मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सी बैंड के अलावा फ्री-टू-

10 SATELLITE & CABLE TV DECEMBER 2022



band need to be encrypted. The earlier guidelines just mentioned that FTA channels need to be encrypted while being uplinked.

To prevent misuse of permission, the government

has disallowed subletting of licences by proposing licence suspension as a penalty. However, permission for the transfer of channel(s) will be allowed under all conditions under the Companies Act 2013 including dissolution, takeover, and reconstruction.

Broadcasters also have the option of uplinking channels from more than one satellite/teleport. The guidelines also make it mandatory for television channels to telecast content in the national and public interest for 30 minutes every day.

12

TV channel licence holders who intend to change the language or feed of a channel from Standard Definition (SD) to High Definition (HD) will just need to intimate the ministry of information and broadcasting (MIB). Earlier, licence holders had to seek permission from the MIB for the same.

एयर (एफटीए) चैनलों को फ्रीक्वेंसी बैंड से अपलिंक करने की जरूरत है।पहले के दिशा निर्देशों में सिर्फ इतना कहा गया था कि एफटीए चैनलों को अपलिंक किये जाने के दौरान एन्क्रिप्ट करने की जरूरत है।

अनुमित के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार ने लाइसेंस

निलंबन को दंड के रूप में प्रस्तावित करके लाइसेंस को सबलेट करने की अनुमित नहीं दी है। हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विघटन, अधिग्रहण और पुर्निनर्माण सहित सभी शर्तों के तहत चैनल के हस्तांतरण की अनुमित दी जायेगी।

प्रसारकों के पास एक अधिक सैटेलाइट / टेलीपोर्टों से चैनल को अपलिंक करने का भी विकल्प है | दिशानिर्देश टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में

सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य करते हैं।

टीवी चैनल लाइसेंस धारक जो स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) तक किसी चैनल की भाषा या फीड बदलने का इरादा रखते हैं, उन्हें केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) को सूचित करना होगा।पहले लाइसेंसधारकों को इसके लिए एमआईवी से अनुमति लेनी पड़ती थी। ■





SATELLITE & CABLE TV DECEMBER 2022